

निर्णय बड़जलास काना राम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
सवाई माधोपुर

प्रकरण संख्या 49/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

जीसीएमएस नं० 2025/400

बैंक ऑफ बडौदा रांवल .....प्राथी

बनाम

1. श्री बुद्धिप्रकाश बैरवा पुत्र श्री रामनारायण बैरवा निवासी ग्राम किशनपुरा, ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जिला सवाई माधोपुर 322026
2. श्रीमती पूनम बैरवा पत्नी श्री बुद्धिप्रकाश बैरवा निवासी ग्राम किशनपुरा, ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जिला सवाई माधोपुर 322026

.....अप्रार्थी/ऋणी

The Application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

—: आदेश :-

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्राथी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 29.01.2024 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के ऋण के रूप में श्री बुद्धिप्रकाश बैरवा पुत्र श्री रामनारायण बैरवा निवासी ग्राम किशनपुरा, ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा जिला सवाई माधोपुर की सम्पत्ति पट्टा नं० 10/05.12.2023 खसरा नं० 30 वार्ड नं० 01 विज्ञान नगर पानी की टंकी के पास बैरवा मोहल्ला, रणथम्भौर रोड ग्राम किशनपुरा ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रमेश चन्द की सम्पत्ति, पश्चिम में बनवारी की सम्पत्ति, उत्तर में सतीश की सम्पत्ति व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 164.64 वर्ग गज है, को बंधक रखकर 14,40,029.70/- (चौदह लाख चालीस हजार उनतीस रुपये सत्तर पैसे मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्राथी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 12.08.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद बकाया ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्राथी बैंक ने उक्त अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गई उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु बावजूद तामिल नोटिस अप्रार्थीगण नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुए।
3. सुयोग्य बैंक प्रतिनिधि को सुना। पत्रावली का भलीभाँति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्राथी बैंक द्वारा दिनांक 12.08.2025 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी गया, लेकिन ऋण पेटे शेष राशि का भुगतान नहीं किया गया। अतः उक्त अधिनियम की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्राथी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी ऋणी की ओर से प्राथी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पत्ति पट्टा नं० 10/05.12.2023 खसरा नं० 30 वार्ड नं० 01 विज्ञान नगर पानी की टंकी के पास बैरवा मोहल्ला, रणथम्भौर रोड ग्राम किशनपुरा ग्राम पंचायत हिम्मतपुरा पंचायत समिति व जिला सवाई माधोपुर में स्थित है, जिसके जमीन के पडौसी पूर्व में रमेश चन्द की सम्पत्ति, पश्चिम में बनवारी की सम्पत्ति, उत्तर में सतीश की सम्पत्ति व दक्षिण में आम रास्ता है, जिसका क्षेत्रफल 164.64 वर्ग गज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्राथी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
5. आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर एवं प्राथी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।
6. आदेश आज दिनांक 18.2.2026 को सुनाया गया।

(काना राम)  
जिला मजिस्ट्रेट  
सवाई माधोपुर